कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती ममता बियानी (MAMTA BIYANI), प्रधानाचार्य, GOVT SEN.SEC. PARSHU RAM DWARA, JAIPUR का स्थानान्तरण GOVT.HR.S.S PANDOLI STATION, CHITTAURGARH किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती ममता बियानी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 183/2020 ममता बियानी बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 183/2020 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2020 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर रिक्त पद प्रदर्शित करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने एवं प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उस पर विचार करते हुए विभागीय दिशा–निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पुत्री के अस्थमा एवं स्वयं के गठिया रोग से पीडित होने तथा स्थानान्तरित स्थान के 400 किमी दूर होने को मद्देनजर रखते हुए अपना समायोजन जयपुर जिले में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी पुत्री के अस्थमा और स्वयं के गठिया रोग का हवाला देते हुए जयपुर जिले में पदस्थापित रखे जाने की मांग की गई है। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 में राज्य सेवा के कार्मिकों में हदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण एवं कैंसर रोग जैसे असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को ही स्थानान्तरण आवेदनों में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। अपीलार्थी किसी असाध्य रोग से पीडित नहीं है।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा स्वयं को 400 किमी दूर स्थानान्तरित किये जाने का उल्लेख किया गया है, तो इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवान दास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 में यह प्रतिपादित किया गया है कि दूरी के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप उचित नहीं है क्योंकि राज्य सेवा के कार्मिक की सेवाएं नियोक्ता द्वारा राज्य में कहीं पर भी ली जा सकती है। एक स्थान से किसी दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किये जाने से किसी कार्मिक के विधिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता।

उपर्युक्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती ममता बियानी (MAMTA BIYANI), प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/183/ममता बियानी/590/2020/ दिनांक 28.02.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सम्बन्धित, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. सम्बन्धित, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. सम्बन्धित, जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)